

>

Title: Problems faced by farmers in border areas.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। लाल सिंह जी आपका भी ईशू इसमें है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां बीएसएफ का या सेना का यह कानून है कि बार्डर लाइन से पांच सौ मीटर तक कोई भी किसान जो फसल बोएगा, वह पांच फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहां गेरा बाजरा छः से सात फीट तक जाता है, तो वह कैसे संभव हो सकता है? वहां कानून लागू है। मैं जब बार्डर एरिया में जनता के बीच गया तो उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी एक पाबंदी और लगा रखी है कि किसान को अपने ही खेत में जाने की अनुमति 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वह क्या काम करेगा? अगर इरीगैटेड एरिया में रात को पानी छोड़ दिया तो पानी बेकार चला जाएगा। गेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को यह कहना है कि इस नियम में परिवर्तन करे, जिससे किसानों को राहत मिले। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वह उस जमीन को अपनी समझे और उसका मुआवजा किसानों को दे। यही मेरी मांग आपके माध्यम से है, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Dr. Kirit Premjibhai Solanki and Dr. Rajan Sushant are also associating on this issue.